भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2804

दिनांक 12.08.2026 को उत्तरार्थ

पंचायत विकास सूचकांक

2804 डा. अशोक कुमार मित्तलः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्रामीण स्थानीय निकायों की विकासात्मक स्थिति का आकलन करने हेतु शुरु किए गए पंचायत विकास सूचकांक की वर्तमान प्रगति क्या है;
(ख) देशभर की पंचायतों का मूल्यांकन एवं श्रेणी निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक एवं अवसंरचना संबंधी मानदंडों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इस प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी निर्धारण प्रणाली को कार्यप्रदर्शन-आधारित केंद्रीय एवं राज्य वित्तीय अनुदानों के संवितरण से आधिकारिक रूप से जोड़ा गया है;
(घ) इस सूचकांक के लिए पंचायत सचिवों द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थानीय आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले खंडों की सहायता हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

क) मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के राष्ट्रीय एजेंडे को हासिल करने की दिशा में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एलएसडीजी)की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को समेकित करते हुए विषयगत दृष्टिकोण के माध्यम से एसडीजी के स्थानीयकरण की प्रक्रिया की संकल्पना की गई है।

मंत्रालय ने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स(पीएआई) विकसित किया है, जिसे पहले पंचायत विकास सूचकांक(पीडीआई)के नाम से जाना जाता था। यह एक समग्र मूल्यांकन ढाँचा है, जो स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के 9 विषयों में ग्राम पंचायतों/ग्राम पंचायतों के समकक्ष निकायों के प्रगति और प्रदर्शन को मापने के लिए विकसित किया गया है।

पीएआई ग्राम पंचायत के स्कोरकार्ड और डैशबोर्ड के माध्यम से विषय-वार और समग्र स्कोर प्रदान करता है। यह पंचायत स्तर पर कार्य-निष्पादन में कमियों, सापेक्ष शक्तियों और विशेष रूप से ध्यान देने वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम बनाता है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पीएआई 2.0 की प्रक्रिया में 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुल 2.59 लाख ग्राम पंचायतों/ग्राम पंचायतों के समकक्ष को शामिल किया गया है।

(ख) पंचायत विकास सूचकांक 150 स्थानीय संकेतकों के फ्रेमवर्क के माध्यम से विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और ग्रामीण अवसंरचना मेट्रिक्स जैसे स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता, ग्रामीण कनेक्टीविटी आदि की माप करता है। इन संकेतकों को मोटे तौर पर स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के नौ विषयों में मैप किया गया है।

पंचायत विकास सूचकांक (पीएआई) में, समग्र और विषयगत स्कोर की गणना स्थानीय संकेतकों की प्रगति के आधार पर की जाती है। ग्राम पंचायतों को उनके समग्र और विषयगत स्कोर के आधार पर रैंक दी जाती है।

(ग) जी नहीं। पंचायतों को कार्य-निष्पादन के आधार पर वित्त आयोग की सिफारिशों और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुदान प्रदान किए जाते हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग और सोलहवें वित्त आयोग के तहत, पीएआई स्कोर न तो निर्धारित किए गए थे और न ही उन्हें कार्य-निष्पादन के आधार पर अनुदान जारी करने के लिए बेंचमार्क के रूप में जोड़ा गया था।

(घ) पंचायत विकास सूचकांक (पीएआई) एक व्यवस्थित, बहु-स्तरीय डेटा सत्यापन प्रक्रिया है, जिसमें डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य प्रशासन शामिल है।

(ङ) पीएआई के उद्देश्यों में से एक स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों **(**एलएसडीजी) के 9 विषयों में प्राप्त अंकों के माध्यम से पंचायतों में विकास संबंधी कमियों की पहचान करना है। समग्र और विषयगत स्कोर से ग्राम पंचायतों को विकास के मुख्य क्षेत्रों की पहचान करने और उन्हें प्राथमिकता देने में मदद मिलती है, जिन्हें "संकल्प" कहा जाता है। ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने से पहले कम प्रदर्शन वाले क्षेत्रों/विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संकल्प लेने की सलाह दी जाती है।
